बैलाडिला निक्षेप-11बी के हस्तान्तरण के विरूद्व दिल्ली उच्च न्यायालय में भी जुलाई, 1996 में एक जनाहित मुकदमा (पी.आई.एल) दायर किया गया हैं। याजिका पर सुनवाई दिनांक 14.10.96 को हुई। दूसरी वैच के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इस मामले को 29.10.96 तक स्थागित कर दिया गया। तथापि, मामला कथित तारीखर की सुची में शमिल नहीं था। पुनः इसे 6.11.96 की सूची में रखा गया । मैसर्स बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लि. स्वयं को एक पक्षकार बनाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आदोलनं मंजूर कर लिया गया। 18.2.97 को मामले पर सुनवाई के बाद अब इसे 26.3.97 तक अगली सुनवाई के लिए स्थागित कर दिया गया।

सरकार द्वारा लिया गया निर्ण यह हैं कि यह विषय अत्यनत महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता हैं। चूंकि यह मामला न्यायाधीन हैं अतः सरकार को न्यायिक फैसले की प्रतीक्षा करनी होगी।

गुजरात में लौह और इस्पात परियोजनाए

257. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला**: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नई लौह और इस्पात परियोजनाओं की स्थापना हेतु स्थानों का चयन कर लिया गया हैंः

(ख) क्या सरकार का गुजरात में भी लौह और इस्पात परियोजना स्थापित करने का विचार हैं

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं,

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं,

(ड) क्या गुजरात सरकार ने भी निजी क्षेत्र की भागीदारी से राज्य में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया हैं, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) सरकार द्वारा "उघामियों के लिए लोहा और इस्पात उघोग के मार्गदर्शी सिद्वातं" अक्तूबर, 1992 में जारी किया गए थे, जिनके तहत नई लोहा और इस्पात परियोजनाएं और कोयला बनाने के संयंत्रो को स्थापित किए जाने के लिए देश में 25 संभावित स्थल अभिज्ञात किए गए।

(ख) और (ग) सरकार का गुजरात में लोहा और परियोजना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(घ) आठवीं पचंवर्षीय योजना के अतिंम वर्ष अर्थात् 1996-97 के दौरान परिसज्जित इस्पात का प्रत्याशित उत्पादन 235.04 लाख टन हैं।

(ड.) और (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार, निजी क्षेत्र की भागीदारी में इस्पात संयंत्र लगाने के लिए औघोगिक लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में केंद्र सरकार को गुजरात सरकार के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

Survey regarding drug abuse by students

258. SHRI P. SOUNDARARAJAN:
SHRI N. THALAVAI SUNDARAM:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any survey in the country to find out the extent of drug abuse by the youth, particularly students;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that drug addiction in students in the metropolises has alarmingly increased in the recent years; and

(d) if so, the action Government propose to take to tackle this drug menace?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) The Ministry of Welfare sponsored a multi-centred study on student population in 1975-76 and a repeat study after a decade (1985-86) to assess the prevalence of drug abuse among University students. The 1975-76 study covered seven centres which included Bombay, Delhi, Hyderabad, Jabalpur, Jaipur, Madras and Varanasi. In the study of 1985-86, two more centres, namely, Bangalore and Calcutta were added.

(b) The major findings of these two studies are:

(i) The prevalence of abuse of licit